

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

56/2017
11-5-2017

रामराज पुत्र बंदी गुर्जर निवारी ग्राम-महुआ तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
-अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार उनियारा जिला- टोक

-रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार उनियारा दिनांक 23-2-2017

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 22-9-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 23-2-2017 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 879/667 रकबा 0.2325 है० वाके ग्राम महुआ तह० उनियारा में अतिकर्मी मानते हुए भूमि से बेदखल करने व फसल जप्त कर नीलाम करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलवी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नहीं कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर नहीं दिया ओर पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश गलत रिपोर्ट की है, केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करते हुए बिना तथ्यों की जाँच किये एवं अपीलान्ट को साक्ष्य सफाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो विधि विधान एवं तथ्यों के वितरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिये जाने का




ओर वेदखल किये जाने की धमकी देने पर दिनांक 2-5-2017 को हुई। अपीलान्त ने 3-5-2017 को नकल प्राप्त कर कानूनी सलाह लेकर अविलम्ब नकल पेश की है। अपील पेश करने में जो देरी हुई है वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। क्षमा करने हेतु पृथक से धारा-5 भारतीय परिशीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्त की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्त ने विवादित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 879/667 रकबा 0.2325 है० वाके ग्राम महुआ तह० उनियारा में अतिक्रमण किया था। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्त पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्त की विधिवत रूप से तामिल हुई है एवं अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्त द्वारा 879/667 रकबा 0.2325 है० वाके ग्राम महुआ तह० उनियारा में अतिक्रमण किया है जो हल्का पटवारी की रिपोर्ट से साबित है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 23-2-2017 यथावत रखा जाता है। रथगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक